

# माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश

## Board of High School and Intermediate Education, U.P.



### हाईस्कूल परीक्षा-२०११

### High School Examination-2011

### प्रमाणपत्र-सह-अंकपत्र (CERTIFICATE-CUM-MARKS SHEET)

अनुक्रमांक Roll No.	जनपद/केन्द्र/विद्यालय कोड Distt./Centre/School Code	संस्थागत/व्यक्तिगत Regular / Private	परीक्षा प्रवर्ग Exam. Type	प्रमाणपत्र क्रमांक Certificate No.
2039976	56/20586/1225	REGULAR	FULL EXAM	56022566

प्रमाणित किया जाता है कि (This is to certify that)

परिषद् के अभिलेखानुसार (according to the Board's record)- SATYENDRA SINGH

आत्मपुत्र/आत्मिका श्रौमती (son/daughter of Mrs.)- RAJ RANI

एवं श्री (and Mr.)- RAJENDRA SINGH

जिनकी जन्मतिथि (whose date of birth is)-

1ST SEPTEMBER NINETEEN HUNDRED NINETY SEVEN (01/09/1997)

ने मार्च/अप्रैल 2011 की हाईस्कूल परीक्षा विद्यालय/केन्द्र (has passed High School Examination held in March/April 2011 from School/Centre)- CH PRAHLAD SINGH HSS DHATA FATEHPUR

से निम्न विवरणानुसार उतीर्ण को है (with the following details):-

विषय Subject	अधिकतम अंक Max. Marks	प्राप्त अंक Obtained Marks	ग्रेड Grade	परीक्षाफल Result
HINDI	100	079	B1	PASSED
ENGLISH	100	058	C1	
SANSKRIT	100	074	B1	
MATHEMATICS	100	072	B1	
SCIENCE	100	053 P/A	C1	
SOCIAL SCIENCE	100	075	B1	
Category of Moral, Sports and Physical Education- A				

No. divisions are awarded

तिथि (Date)- 10TH JUNE, 2011

स्थान (Place)- Allahabad, Uttar Pradesh

Note : For Important Instructions see overleaf.

Director  
J.P. College of Panchsahi  
Mohanganj, Distt. Prabhā Tnpāthi  
सचिव (Secretary)



# उत्तर प्रदेश शासन

उत्तर प्रदेश के पिछड़ी जाति के लिए जाति प्रमाण पत्र

जिला  
तहसील  
आवेदन क्र०  
प्रमाणपत्र क्र०

फतेहपुर  
खागा  
211720030000218  
423213000082

जारी दिनांक: 04/01/2021

प्रमाणित किया जाता है कि  
पुत्र/पुत्री  
माता का नाम  
निवासी  
ग्राम  
तहसील  
जिला

सत्येन्द्र सिंह  
राजेन्द्र सिंह  
राजरानी  
जाम  
खागा  
फतेहपुर



उत्तर प्रदेश राज्य की कुर्मी जाति के व्यक्ति हैं। यह उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम १९९४ की अनुसूची एक के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि सत्येन्द्र सिंह पूर्वोक्त अधिनियम १९९४ (यथा संशोधित) की अनुसूची २ (जैसा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम २००१ द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एवं जो उ०प्र० लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम २००२ एवं शासनादेश संख्या 22/16/92 टी० सी०-III, दिनांक २० अक्टूबर २००८ द्वारा संशोधित की गई है, से आच्छादित नहीं है। इनके माता-पिता की निरन्तर तीन वर्षों की अवधि के लिये सकल वार्षिक आय आठ लाख रुपये या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास अनुसूचित अधिनियम १९५७ में तथा विधिपत्र सूट सीमा से अधिक सम्पत्ति नहीं है।

*For Issued*  
  
Director  
J.P. College of Pharmacy  
Mohaniaiganj, Lucknow



SHASHI  
BHUSHAN  
Digitally Signed by SHASHI  
BHUSHAN O-REVENUE,  
C-INCN-SHASHI  
BHUSHAN, SHARIF  
Profess

सक्षम अधिकारी/तहसीलदार  
डिजिटल हस्ताक्षरित  
खागा, फतेहपुर  
दिनांक: 04/01/2021

यह प्रमाण पत्र इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल सिस्टम द्वारा तैयार किया गया है तथा डिजिटल सिग्नेचर से हस्ताक्षरित है। एवम् आवेदक द्वारा स्वयं की तस्वीर इन आइडी के माध्यम से अटनवोट किया गया है। यह प्रमाण पत्र वेबसाइट <https://edistrict.up.gov.in> पर इसका पहलू आवेदन क्र० फिर प्रमाणपत्र क्र० अंकित कर सत्यापित किया जा सकता है।